न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 271/2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/418**
दायर दिनांक :– 30.10.2024 **निर्णय दिनांक :– 29.09.2025**

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. अकबर पुत्र मिठु खां जाति मुसलमान निवासी मलार तहसील फलोदी जिला फलोदी
2. अंकित राठी पुत्र मोतीलाल राठी जाति महेश्वरी निवासी फलोदी तह. व जिला फलोदी
3. सदीक खां पुत्र निजामदीन जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. प्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप
2. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधि. अ. 2, 3
3. श्री सिकन्दर खां अधि. अप्रार्थी सं. 1

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय से पेश किया है ग्राम बाप तहसील बाप स्थित कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 685/6 किस्म बारानी–3 रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। अप्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि का अकृषि वाणिज्यक प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है जो अप्रार्थीगण के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और अप्रार्थीगण ने बिना अधिकार पत्र के वाणिज्यक प्रयोजनार्थ भूमि किस्म परिवर्तन किया गया है, जो सिवायचक रकबा राज घोषित किया जाना चाहिए। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि पर वाणिज्यक उपयोग किया जाकर कृषि भूमि के स्वरूप को नष्ट किया जा रहा है। अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वाद पत्र के निर्णय तक मौके की यथास्थिति बनाये रखें। खातेदारों द्वारा विधि विरूद्व मौके की स्थिति में परिवर्तन किया जा रहा है और कृषि से अकृषि कार्य में बिना सरकार की स्वीकृति लिये उक्त कार्यवाही कर रहा है। उक्त कृषि भूमि काश्त के काम में नहीं ली जा रही है व मौके की स्थिति में परिवर्तन किया जा रहा है। अप्रार्थीगण को मूलवाद पत्र धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावें तथा मौके की स्थिति यथावत रखें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की और से अधिवक्ता सिकन्दर खांन मंगलिया व अप्रार्थी संख्या 2 ता 3 की और से अधिवक्ता राजेन्द्रसिंह सोंलकी ने मूल प्रार्थना–पत्र में वकालतनामा पेश किया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर इनका जवाब बंद किया गया। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नजरी नक्शा, पटवारी हल्का की रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक

29/9/25
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

ग्राम बाप पटवार हल्का बाप के खाता संख्या 1067 सम्वत् 2078–81 की जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित सह खातेदार है। वादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेख अनुसार कृषि भूमि किस्म बारानी–3 दर्ज है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त को बिना संपरिवर्तन करवाये अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जा रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि में बिना अधिकार पत्र के वाणिज्यक प्रयोजनार्थ भूमि किस्म परिवर्तन किया गया है। प्रार्थी और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है। अप्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन हेतु उपयोग में लेने का अधिकार निहित नहीं होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना–पत्र और जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित सह खातेदार है। वादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेख अनुसार कृषि भूमि किस्म बारानी–3 दर्ज है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त को बिना संपरिवर्तन करवाये अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जा रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि में बिना अधिकार पत्र के वाणिज्यक प्रयोजनार्थ भूमि किस्म परिवर्तन किया गया है। चूंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित हुआ है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी का दावा अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्टया मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित हुये है। अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईप्सित करने वाले प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित होने के कारण मूल वाद का निपटारा होने तक अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

--:आदेश:--

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि ग्राम बाप तहसील बाप के खसरा नम्बर 685/6 रकबा 0.1619 हैक्टेयर में अप्रार्थीगण मूल प्रार्थना–पत्र 177 के निस्तारण तक किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करे व राजस्व अभिलेख एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखें। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.) सत्यमेव जयते

29/9/25

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)